न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 202/2023

उनवान

1– मु. लाड पत्नी सोहनलाल ब्राह्मण निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
2– सत्यनाराण पुत्र सोहनलाल ब्राह्मण निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– मु. अलोल पत्नी डूंगा गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
2– मु. कमला पत्नी लालाराम गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
3– मु. धापू पत्नी सोराम गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
4– देबी पुत्र छगना गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
5– गोपाल पुत्र छगना गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
6– शंकरलाल पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
7– मुकेश पुत्र प्रेम देवी शर्मा निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
8– जमना पुत्र उदा माली निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
9– राजू पुत्र छीतर गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
10– उगमा पिता तुलछा गाडरी निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
11– नारायण पिता धन्ना बलाई निवासी ईंटमारिया तहसील शाहपुरा
12– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ढीकोला
13– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री दिनेश चन्द्र व्यास : अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **19/02/2024**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **ईंटमारिया पटवार हल्का ईंटमारिया** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 288 रकबा 0.39 है0, 302 रकबा 0.41 है0** कुल किता **2** रकबा **0.80** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातदेारी काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 7 लगायत 13** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 3, 6** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ईंटमारिया पटवार हल्का ईंटमारिया संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ईंटमारिया** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 0.80 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा